न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 11/2024 राजस्व वाद

01. दिनेश कुमार औझा पुत्र श्री मांगी लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :—
1. श्री अशोक लखारा —अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार ——प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक— 10.06.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 5656 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5657 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 02 दो रकबा 0.3668 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि जो कि वादी की पुश्तैनी है। वादी का बोलता नाम सुरेश चन्द्र है। वादी को बोलता नाम सुरेश चन्द्र होने से उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड मे सुरेश चन्द्र अंकित हो गया। जबकि वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजात मे वादी का नाम दिनेश कुमार औझा अंकित है। ग्राम पंचायत राजाजी का करेड़ा द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुसार भी वादी दिनेश कुमार औझा एवं सुरेश चन्द्र दोनो एक ही व्यक्ति होने व वादी को दोनो नामो से जानना बताया। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे वादी का बोलता नाम सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मांगी लाल ब्राह्मण अंकित होने से वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है व सरकारी सुख सुविधा नही मिल पा रही है। सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मांगी लाल ब्राह्मण एवं दिनेश कुमार औझा पुत्र श्री मांगी लाल दोनो एक ही व्यक्ति है। वादी को माह जून 2023 दो हजार तैवीस को नकले प्राप्त करने पर वादी का नाम दिनेश कुमार औझा के बजाय सुरेश चन्द्र दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर वादी प्रतिवादी के समक्ष कई बार उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी बार बार चक्कर देते रहे व दिनांक 29 उनतीस दिसम्बर 2023 दो हजार तैवीस को प्रतिवादी के पास जाने व दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी साफ तौर इंकार हो गया व प्रतिवादी द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम दिनेश कुमार औझा के बजाय सुरेश चन्द्र दर्ज होने से वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

है। इस कारण से वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मांगी लाल ब्राह्मण के बजाय दिनेश कुमार औझा पुत्र श्री मांगी लाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, तदनुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व वादी द्वारा ग्राम पंचायत का प्रमाणपत्र भी पेश किया गया।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व अभिलेख मे सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मांगी लाल ब्राह्मण के बजाय दिनेश कुमार औझा पुत्र श्री मांगी लाल अंकित कराये जाने व दुरूस्ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी दिनेश कुमार औझा पुत्र श्री मांगी लाल है व साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुसार भी सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मांगी लाल ब्राह्मण एवं दिनेश कुमार औझा पुत्र श्री मांगी लाल दोनो एक ही है। अतः वादीया का नाम सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मांगी लाल ब्राह्मण के बजाय दिनेश कुमार औझा पुत्र श्री मांगी लाल दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त नाम दुरूस्त होने पर भविष्य मे होने वाले सभी प्रभावो के लिए वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का आवेदन स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 5656 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5657 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 02 दो रकबा 0.3668 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड मे वादीया का नाम सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मांगी लाल ब्राह्मण के बजाय दिनेश कुमार औझा पुत्र श्री मांगी लाल दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)